



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

घण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2003  
( 20 आषाढ़, 1925 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का० आ० 98/ह० अ० 6/2003 /घा० 60/2003, दिनांक 11 जुलाई, 2003, हरियाणा साधारण विक्रय कर नियम, 1975 को आगे संशोधित करने बारे । (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	1381—1382
भाग-IV	शुद्धि परिचियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 जुलाई, 2003

संख्या का० आ० 98/ह० अ० 6/2003/धा० 60/2003.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6), की धारा 60 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्ति के अन्तर्गत इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० वैब 9/ह० अ० 6/2003/धा० 60/2003, दिनांक 3 जुलाई 2003, के प्रति निर्देश से हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 61 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 81 के अधीन उपबन्धित के सिवाए हरियाणा साधारण विक्रय कर नियम, 1975, को आगे सशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 61 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के पठित उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 81 के अधीन यथा उपबन्धित के सिवाए हरियाणा साधारण विक्रय कर (सशोधन), नियम 2003, कहे जा सकते हैं।

(2) ये जुलाई, 2003 के सातवें दिन से लागू हुए समझे जायेंगे।

2. (हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 61 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन यथा उपबन्धित के सिवाए), हरियाणा साधारण विक्रय कर नियम, 1975 में, नियम 28क में उप-नियम (5) में विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"(छ) उच्च स्तरीय सपीक्षा समीति के मूल निर्णय के विरुद्ध अपील, यदि निर्णय की संसूचना के 30 दिन के भीतर की जाए तो हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 57 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पठित हरियाणा कर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(छछ) खण्ड (छ) के अधीन, सचिव उद्योग को दायर की गई सभी अपीलें इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व किन्तु उस द्वारा निर्णीत नहीं की गई हैं इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद हरियाणा कर अधिकरण को स्थानान्तरित हो जायेंगी।"

चन्द्र सिंह,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी व कराधान विभाग।

[ Authorised English Translation ]

**HARYANA GOVERNMENT****EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 11th July, 2003

**No. S.O. 98/H.A. 6/2003/S. 60/2003.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web 9/ H.A. 6/2003/S.60/2003, dated the 3rd July, 2003, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, as saved under clause (d) of sub-section (2) of section 61 of Haryana Value Added Tax Act, 2003, read with rule 81 of the rules framed thereunder, namely :-

1. (1) These rules may be called the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2003, as saved under clause (d) of sub-section (2) of section 61 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 read with rule 81 of the rules framed thereunder.

(2) These rules shall come into force with effect from 7th day of July, 2003.

2. In the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, in rule 28A (as saved under clause (d) of sub-section (2) of section 61 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003), in sub-rule (5) for the existing clause (g), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(g) An appeal from the original decision of the Higher Level Screening Committee shall lie to the Haryana Tax Tribunal constituted under sub-section (1) of section 57 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), if preferred within 30 days of communication of the decision.

(gg) All appeals filed with Secretary, Industries under clause (g) before commencement of these rules but not decided by him shall stand transferred to the Haryana Tax Tribunal after commencement of these rules."

**CHANDER SINGH,**Financial Commissioner and Principal Secretary  
to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.